अग्निशमन प्रणाली, इलेक्ट्रिकल पैनल, मोटर पंप, इलेक्ट्रिकल कार्यों के व्यापक प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिये निबंधन एवं शर्ते

और

विनिर्देशन

निविदा सन्दर्भ संख्या: सी-डॉट/डीईएल/कैंपस/2020-2021/002

#### निविदा दस्तावेज

# अग्निशमन प्रणाली, इलेक्ट्रिकल पैनल, मोटर पंप, इलेक्ट्रिकल कार्यों के व्यापक प्रचालन एवं अन्रक्षण के लिए निविदा आमंत्रण

1. सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (इसके बाद से सी-डॉट के रूप में संदर्भित)दूरसंचार के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक पंजीकृत वैज्ञानिक सोसाइटी है। सी-डॉट परिसर, महरौली, नई दिल्ली-110030 में स्थित हमारे दिल्ली कार्यालय में लगभग 630 कर्मचारी हैं।

सी-डॉट प्रतिष्ठित एजेंसियों/ कंपनियों, जिन्हें इसके आगे "बोलीकर्ता" कहा जाएगा, से सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ टेलीमैटिक्स (सी-डॉट), नई दिल्ली में अग्निशमन प्रणाली/अग्नि चेतावनी प्रणाली, इलेक्ट्रिकल पैनल तथा मोटर पंप, इलेक्ट्रिकल उपस्कर एवं इलेक्ट्रिकल कार्यों के प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए त्रिवार्षिक आधार पर व्यापक वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध हेतु ई-प्रोक्योरमेंट सीपीपी पोर्टल के माध्यम से दोहरी बोली प्रणाली के तहत (अलग तकनीकी और वित्तीय बोलियों) हस्ताक्षरित ऑनलाइन निविदाएँ आमंत्रित करता है।

# सी-डॉट कार्यालय का पता निम्नान्सार है:

सी-डॉट परिसर, मांडी रोड महरौली, नई दिल्ली-110030

# 2. निविदा प्रस्तुत करने के लिए दिशानिर्देश

सी-डॉट इच्छुक बोलीदाताओं से दो-बोली निविदा प्रणाली में हस्ताक्षरित ऑनलाइन उद्धरण आमंत्रित करता है। अतः, ई-प्रोक्योरमेंट सीपीपी पोर्टल के माध्यम से तकनीकी और वितीय बोली अलग-अलग प्रस्तुत की जानी हैं।

# 2.1 महत्वपूर्ण तारीखों की सूची: इस निविदा से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां निम्नानुसार हैं:

| प्रकाशन की तिथि                                | 31 दिसम्बर 2020 (12:30 अपराहन) |
|--|--------------------------------|
| बोली दस्तावेज़ डाउनलोड/बिक्री आरंभ होने की     | 31 दिसम्बर 2020 (12:30 अपराहन) |
| तिथि   |                                |
| स्पष्टीकरण की आरंभिक तिथि                      | 31 दिसम्बर 2020 (12:30 अपराहन) |
| स्पष्टीकरण की अंतिम तिथि                       | 06 जनवरी 2021 (2:00 अपराहन)    |
| बोली-पूर्व बैठक                                | 08 जनवरी 2021 (3:00 अपराहन)    |
| बोली जमा करने (ऑनलाइन) की आरम्भिक तिथि         | 09 जनवरी 2021 (10:00 सुबह)     |
| बोली जमा करने (ऑनलाइन) की अंतिम तिथि           | 28 जनवरी 2021 (12:30 अपराहन)   |
| मूल कागज़ी प्रति और निविदा शुल्ज के लिए डिमांड | 28 जनवरी 2021 (12:30 अपराहन)   |

| ड्राफ्ट प्रस्तुति                    |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| बोली खोलने की तिथि- तकनीकी (ऑनलाइन)  | 29 जनवरी , 2021 (2:00 अपराहन) |
| बोली खोलने की तिथि- वित्तीय (ऑनलाइन) | बाद में सूचित किया जाएगा      |

बोली खोलने की तिथि के दिन अनिर्धारित अवकाश होने पर बोली अगले कार्य दिवस पर यथा निर्धारित समय पर खोली जाएंगी।

- 2.2 दस्तावेज़ डाउनलोड: निविदा दस्तावेज़ सी-डॉट की वेबसाइट www.cdot.in (संदर्भ मात्र के लिए) और केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल: <a href="https://eprocure.gov.in/eprocure/app">https://eprocure.gov.in/eprocure/app</a> (जिसे इसके आगे से सीपीपी पोर्टल कहा जाएगा) से महत्वपूर्ण तारीखों की सूची' में दिए गए कार्यक्रम के अनुसार डाउनलोड किए जा सकते हैं।
- 2.3 बोली जमा करना: बोलियां केवल सीपीपी पोर्टल पर <u>बोली जमा करने की अंतिम तिथि</u> को या उससे पहले ऑनलाइन जमा की जाएंगी या, जैसा कि महत्वपूर्ण तारीखों की सूची' में उल्लिखित है। फैक्स, ईमेल या ऑफलाइन मोड द्वारा भेजी गई बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

#### 2.4 तकनीकी बोली में निम्नलिखित दस्तावेज शामिल होने चाहिए:

- क. निविदा शुल्क के रूप में 'सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलेमैटिक्स' के पक्ष में देय 1,180/ रुपये के डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर की स्कैन प्रति।
- ख. बयाना राशि के स्थान पर निर्धारित प्रपत्र (अनुलग्नक- IV) के अनुसार बोली प्रतिभूति घोषणा की स्कैन प्रति।
- ग. अनुलग्नक-। के अनुसार बोलीदाता और अन्य प्रासंगिक ब्योरे का विवरण।
- घ. शपथपत्र (अनुलग्नक- II संलग्न प्रारूप के अनुसार) ।
- ङ. मूल्य बोली शपथपत्र (अन्लग्नक III के अन्सार) ।
- च. जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि और पैन कार्ड की प्रतिलिपि।
- छ. ईएसआई और पीएफ पंजीकरण संख्या की प्रतिलिपि।
- ज. बोलीदाता के पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि (दुकान और स्थापना अधिनियम के तहत एक कंपनी / भागीदारी कंपनी, मालिकाना / सोसाइटी के रूप में पंजीकृत) ।
- झ. सभी पृष्ठों पर विधिवत हस्ताक्षरित निविदा दस्तावेज की प्रति।
- ञ. इस निविदा दस्तावेज व्याप्ति में उल्लिखित अग्निशमन प्रणाली और उसके सहायक उपकरण / घटकों के प्रचालन और रखरखाव में न्यूनतम 5 वर्षों के अनुभव के साक्ष्य में प्रमाण।
- ट. पिछले तीन वितीय वर्षों (2017-18, 2018-19, 2019-20) में से कम से कम दो वर्ष के लिए इसी प्रकृति के न्यूनतम 75 लाख रुपए राशि के दो अनुबंध (केवल बोलीदाता के नाम में) निष्पादित करने के अनुभव के साक्ष्य में दस्तावेज।

- ठ. बोलीदाता के पास इस परिमाण का अनुबंध लेने के लिए पर्याप्त वितीय शक्ति होनी चाहिए और उस के समर्थन में बैंक सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट प्रदान करना चाहिए।
- **ड.** पिछले तीन वर्षों में जिनके साथ अनुबंध हो, ऐसे कम से कम दो ग्राहकों से ग्राहक संगठन के पत्रशीर्ष परसेवा संतुष्टि का प्रमाण पत्र। इसके अलावा, बोलीदाता को इस आशय का दस्तावेज प्रस्तुत करना है कि उन्होंने पिछले तीन वर्षों में किसी भी ग्राहक से किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई/ ब्लैकलिस्टिंग का सामना नहीं किया है। इस आशय की स्व-घोषणा स्वीकार्य होगी।
- ढ. अनुलग्नक-III के अनुसार पीओ जारी करने के समय अनुबंध की अविध से तीन माह की अधिक अविध के लिए अनुबंध मूल्य का 3% निष्पादन बैंक गारंटी जमा करने की स्वीकृति।
- 2.5 वित्तीय/वाणिज्यिक /मूल्य बोली प्रमात्रा बिल (बोओक्यू) के मूल्य बोली प्रारूप के अनुसार हर हाल में .xls में होना चाहिए। अतिरिक्त दस्तावेज वित्तीय बोली खोलने के बाद, बोलीदाता द्वारा मैनपावर के वेतन का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
- 2.6 पहले तकनीकी-बोली खोली जाएगी और उसका मूल्यांकन किया जायेगा तथा केवल तकनीकी रूप से स्वीकार्य बोलीदाताओं की वित्तीय बोली ही खोली जाएगी, जिसकी तिथि की सूचना बाद में दी जाएगी।
- 2.7 बोलीकर्ताओं से अनुरोध है कि वे निविदा के निबंधन व शर्ते सावधानी से पढ़ने के बाद ही अपनी निविदाएं जमा करायें। इस निविदा के लिये प्राप्त होने वाली कोई भी बोली/कोटेशन निविदा दस्तावेज में उल्लिखित निबंधन व शर्तों द्वारा नियंत्रित होगा और समझा जाएगा कि इस निविदा के लिये बोली लगाने वाले ने उन्हें पढ़, समझ और स्वीकार कर लिया है। निविदाएं प्राप्त होने के बाद कोई स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 2.8 प्रस्ताव के प्रत्येक पृष्ठ पर प्रस्तावक के हस्ताक्षर, नाम और शीर्षक तथा तिथि और एजेंसी की रबर स्टैम्प होनी चाहिए। साझेदारी फर्म निविदा में सभी भागीदारों के पूर्ण नाम प्रस्तुत करेंगे। यह साझेदारी के नाम पर सभी भागीदारों द्वारा या विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरकर्ता के नाम और पदनाम सिहत हस्ताक्षरित होना चाहिए। सभी भागीदारों के नाम के साथ फर्म के गठन की एक प्रतिलिपि प्रस्तुत की जाएगी। निगम द्वारा निविदा एक अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित होगी और इस बारे में निविदा के साथ पाँवर ऑफ़ अटोर्नी प्रस्तुत की जाएगी।
- 2.9 निविदा दस्तावेज अहस्तांतरणीय है।

- 2.10 बोलियों में, जहां तक हो सके, कुछ मिटाया या बदला आदि नहीं गया होना चाहिये। मिटाई अथवा बदलाव की गयी बोलियों पर तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि इसे प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रमाणित न किया गया गया हो।
- 2.11 निविदा-दस्तावेज में दी गई शर्तों का पालन न करने वाली बोलियों को निरस्त कर दिया जाएगा।
- 2.12 किसी भी तरह का झूठ/ जानकारी छुपाना बैंक गारंटी जब्त करने सहित संविदा रद्द करने का कारण हो सकता है।
- 2.13 निविदा संलग्न अनुलग्नकों में मांगी गयी जानकारी देते हुए पूरी तरह भरी गई हो।
- 2.14 बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वह साइट और इसके परिवेश का निरीक्षण तथा जांच करे और निविदा प्रस्तुत करने से पहले अनुबंध की किस्म और प्रकृति के बारे में खुद को संतुष्ट कर लें और साइट तक पहुंचने के साधन और सामान्य रूप से खुद को जोखिम, आकस्मिकता और अन्य परिस्थितियों जैसी सभी आवश्यक जानकारी से अवगत कर लें जो कि उनके निविदा को प्रभावित कर सकती हैं । यह समझा जायेगा कि निविदा प्रस्तुत करने से पहले बोलीदाता साइट का दौरा कर चुके हैं और उन्होंने स्वयं को भली-भांति अवगत कर लिया है। बोलीदाता को साइट का पूर्ण ज्ञान होना माना जाएगा चाहे उन्होंने इसका निरीक्षण किया है या नहीं और किसी भी गलतफहमी या अन्यथा के कारण किसी अतिरिक्त शुल्क की अनुमति नहीं दी जाएगी। बोलीदाता को सभी सामग्री, औजार और संयंत्र, कामगारों के यहाँ तक पहुँचने के साधन और काम निष्पादित करने के लिए आवश्यक अन्य सभी सेवाओं को अपनी लागत से व्यवस्थित और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा, जब तक कि अन्बंध दस्तावेजों में अन्यथा विशेष रूप से प्रावधान नहीं किया जाता है। अगर साइट का दौरा करने के बाद ठेकेदार को अनुबंध दस्तावेजों में या उनके बीच में कोई विसंगतियां, चूक, अस्पष्टता या संघर्ष मिल जाए या उनके अर्थ के रूप में संदेह हो, तो वह इसे सी-डॉट के ध्यान में लाएगा और निविदा-पूर्व बैठक में लिखित स्पष्टीकरण मांगेगा। बोलीदाता द्वारा निविदा प्रस्तुत करने का अर्थ है कि उन्होंने इस नोटिस और सभी अनुबंध दस्तावेजों को पढ़ लिया है और खुद को कार्य के बारे में जानकारी से अवगत करवा लिया है और काम की शर्तों और स्थितियों और स्थानीय परिस्थितियों और अन्य कारकों के निष्पादन के संबंध में जानकारी प्राप्त कर ली है।
- 2.15 निविदा को पूरे कार्यक्रम के लिए उद्धृत किया जाना चाहिए और यह उद्धरण बिना शर्त होना चाहिए अन्यथा निविदा बोली को खारिज कर दिया जाएगा।

- 2.16 निविदाएं प्रत्येक संदर्भ में पूर्ण होनी चाहिए और अधूरी निविदाएं सरसरी तौर पर अस्वीकृत किये जाने का दायी होंगी। इस संदर्भ में सी-डॉट द्वारा कोई स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 2.17 प्रस्तावित सेवाओं का दायरा नहीं बदला जाना चाहिए और यदि इसमें बदलाव पाया गया, तो निविदा बोली को खारिज कर दिया जाएगा।
- 2.18 सी-डॉट न्यूनतम बोली स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा और वह बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा को अस्वीकार करने का हकदार होगा।

## 3.0 बोली से संबंधित श्ल्क /प्रभार:

- 3.1 निविदा शुल्क: निविदा शुल्क 1180/ रुपये (केवल एक हजार एक सौ अस्सी रुपए), 'सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलेमैटिक्स' के पक्ष में देय अहस्तांतरणीय डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)/पे ऑर्डर के माध्यम से इस निविदा के प्रकाशन की तिथि को या उसके बाद खरीदा जाएगा और नई दिल्ली में देय होगा, जिसे किसी भी राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित बैंक से प्राप्त किया जाएगा,जो उनकी तकनीकी बोली के साथ छह महीने के लिए वैध होगा को सी-डॉट को जमा कराना होगा और इस डीडी की स्कैन की गई कॉपी को पोर्टल पर तकनीकी बोली के साथ अपलोड किया जाएगा। सभी लागू बैंक शुल्क आवेदक द्वारा वहन किए जाएंगे और इस सम्बन्ध में उसका सी-डॉट पर कोई दावा नहीं होगा।
- 3.2 निविदा शुल्क के बिना बोलियां सीधे तौर पर खारिज कर दी जाएंगी।
- 3.3 निविदा शुल्क के संबंध में मूल दस्तावेजों की हार्ड कॉपी को मुहरबंद लिफ़ाफ़े में, जिस पर निविदा संख्या, मद और नियत तारीख उल्लिखित की गई हो; '<u>बोली जमा करने</u> की अंतिम तिथि' से पहले निम्नलिखित पते पर पहुंच जाने चाहिए -

पता: प्रबंधक- क्रय प्रभाग

'सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स'

सी-डॉट परिसर, महरौली

नई दिल्ली- पिन- 110030

टेलीफोन नंबर: 011-26802856, 011-26598707

ईमेल पता: purchase@cdot.in

सी-डॉट डाक के कारण विलम्ब और/अथवा किसी अप्रत्याशित घटना की वजह से विलम्ब सिहत किसी भी तरह की देरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। 'बोली जमा करने की अंतिम तिथि' के बाद प्राप्त निविदा शुल्क के संबंध में मूल दस्तावेजों की हाई कॉपी स्वीकार नहीं

की जाएगी और इस तरह बोली को सीधे तौर पर खारिज कर दिया जाएगा और इस संबंध में कोई पत्र-व्यवहार भी नहीं किया जाएगा।

3.4 बयाना राशि (ईएमडी): व्यय विभाग (वित्त मंत्रालय) द्वारा जारी का.जा. फा.सं. 9/4/2020- पीपीडी, दिनांक 12 नवंबर 2020 के अनुसार, इस निविदा के के प्रत्युत्तर में कोई बयाना राशि नहीं ली जाएगी। हालाँकि, बोलीदाताओं को अनुलग्नक IV के अनुसार बोली स्रक्षा घोषणा प्रस्तृत करनी होगी।

## 4.0 निविदा की निबंधन और शर्तें

- 4.1 सी-डॉट को बिना कोई कारण बताये किसी हिस्से या पूरी निविदा (ओं) को अस्वीकार/स्वीकार करने का अधिकार है। सी-डॉट का फैसला अंतिम और निर्विवाद होगा।
- 4.2 सी-डॉट को योग्य पक्षों को पूरा अथवा आंशिक अनुबंध देने का अधिकार है। सी-डॉट का फैसला अंतिम होगा और इस सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जायेगा।
- 4.3 निविदाएं प्रत्येक संदर्भ में पूर्ण होनी चाहिए और अधूरी निविदाएं सरसरी तौर पर अस्वीकृत किये जाने का दायी होंगी। इस संदर्भ में सी-डॉट द्वारा कोई अनचाहा स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 4.4 किसी भी प्रकार का पक्ष-प्रचार बोलोकर्ता को अयोग्य ठहरा सकता है। यदि बोलीकर्ता किसी अन्य बोलीकर्ता /निविदा प्रक्रियाओं को प्रभावित अथवा डराते हुए पाया गया, तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है।
- 4.5 कारोबार के संबंध में बोलीकर्ता द्वारा रखी गई जवाबी निबंधन और शर्तें, सी-डॉट की ओर से इस बारे में लिखित स्वीकृति नहीं दी जाने तक, सी-डॉट पर लागू नहीं होंगी।
- 4.6 बोलीकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे निविदा जमा करने से पहले अग्निशमन प्रणाली, इलेक्ट्रिकल पैनल, मोटर पंप तथा इलेक्ट्रिकल कार्यों के प्रचालन एवं अनुरक्षण की विशालता को समझ लें। बोलीकर्ता इस प्रयोजन के लिए समय लेकर सभी कार्य दिवसों पर कार्य अविध के दौरान महरौली स्थित सी-डॉट पिरसर का दौरा कर सकते हैं। इस सन्दर्भ में कृपया 011-26598664 तथा 26598117 पर संपर्क करें।
- 4.7 बोली प्राप्त होने के बाद कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जायेगा। बोलीकर्ता द्वारा उप-संविदा की अनुमित नहीं होगी। यदि पाया जाता है कि उप-संविदा दी गयी है तो प्रतिभूति जमा जब्त करने सिहत तत्काल प्रभाव से बोलीदाता के साथ संविदा समाप्त कर दी जाएगी।
- 4.8 एल-1 बोलीदाता का फैसला मूल्य बोली में दिए गए संविदा के कुल मूल्य (3 वर्ष के लिए) के अनुसार किया जायेगा।

## 5.0 मूल्य और वैधता

- 5.1 मूल्य केवल भारतीय रुपये में बीओक्यू फॉर्मेंट में मूल्य बोली के अनुसार अनुबंध के कार्यक्षेत्र के मुताबिक पूरी गतिविधि को शामिल करते हुए कोट की जायें। दरों में सभी देय शुल्क शामिल हों तथा सेवा-कर आदि जैसे किसी भी तरह के लागू कर, यथा जीएसटी इत्यादि शामिल न किये जाएँ तथा उनका उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाये।
- 5.2 सेवाएं प्रदान करने के बाद सी-डॉट को भेजे गये बिल से स्रोत पर ही कर वसूली की जायेगी। सहमत दरें अनुबंध की पूरी अविध के लिए सामान रहेंगी। हालांकि सरकारी करों में किसी तरह का बदलाव होने की अधिसूचना पर, प्रामाणिक दस्तावेज जमा कराने के बाद ही विचार किया जायेगा।
- 5.3 कोट किया गया प्रस्ताव बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से न्यूनतम 180 दिन की अविध तक वैध होना चाहिये।
- 5.4 छूट, यदि कोई हो, सीधी और आसान होनी चाहिए। दरों की तुलना के उद्देश्य से सशर्त छूट को कोई अधिमानता नहीं दी जाएगी। हालांकि सी-डॉट इसका लाभ उठा सकता है।

## 6.0 अन्बंध की अवधि

6.1 अनुबंध 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2024 तक, तीन वर्ष की अविध के लिए होगा। तथापि, निष्पादन और सेवाओं के मूल्यांकन के लिए, अनुबंध में 6 महीने की परिवीक्षाधीन अविध शामिल होगी। परिवीक्षाधीन अविध के दौरान सेवाओं के संतोषजनक पाए जाने के बाद ही अनुबंध की समान नियम और शर्तों पर 31 मार्च 2024 तक की आगे की अविध के लिए संपृष्टि की जाएगी।

## 7.0 चयन के लिये न्यूनतम पात्रता मानदंडः

- 7.1 संविदाकार को अग्निशमन प्रणाली और उनके सामान के परिचालन और अनुरक्षण के क्षेत्र में कम से कम पांच साल का अनुभव होना चाहिए और जैसा कि हमारे निविदा दस्तावेज में कार्य की व्याप्ति में उल्लिखित है।
- 7.2 संविदाकार पंजीकृत कम्पनी/भागीदारी कंपनी/ मालिकाना कम्पनी/मालिकाना/सोसायटी/या दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए। कृपया पंजीकरण/निगमीकरण की प्रति संलग्न कीजिए।
- 7.3 संविदाकार ने पिछले तीन वितीय वर्षों (वितीय वर्ष 2017-2018, 2018-19, और 2019-20) के दौरान कम से कम दो वर्षों में 75 लाख रुपये सालाना मूल्य की समान प्रकृति की दो संविदाओं (केवल संविदाकार के नाम पर) का कार्यान्वयन किया हो और उसे अपनी दरें प्रस्तुत करते हुए प्रामाणिक दस्तावेज/विवरण संलग्न करने चाहिए।

- 7.4 संविदाकार के पास पीएफ, ईएसआई और जीएसटी पंजीकरण नंबर होना चाहिए। (प्रमाण के लिए प्रति संलग्न करनी होगी)
- 7.5 संविदाकार के पास इतनी बड़ी संविदा का दायित्व वहन करने के लिए पर्याप्त वितीय क्षमता होनी चाहिए और उसके समर्थन में बैंक ऋण शोधन क्षमता प्रमाण पत्र (बैंक सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट) उपलब्ध कराना चाहिये।
- 7.6 सी-डॉट अपने विवेकाधिकार से मूल्यांकन के उद्देश्य से वर्तमान संविदा स्थल का दौरा/पूछताछ कर सकता है।
- 7.7 पिछले तीन वर्षों में जिनके साथ अनुबंध हो, ऐसे कम से कम दो ग्राहकों से ग्राहक संगठन के पत्र-शीर्ष पर सेवा संत्ष्टि का प्रमाण पत्र।
- 7.8 बोलीदाता को इस आशय का दस्तावेज प्रस्तुत करना है कि उन्होंने पिछले तीन वर्षों में किसी भी ग्राहक से किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई/ ब्लैकलिस्टिंग का सामना नहीं किया है। इस आशय की स्व-घोषणा स्वीकार्य होगी।

#### 8.कार्य की व्याप्ति

- 8.1 अग्नि शमन प्रणाली, फायर अलार्म, फायर इक्स्टिंगग्विशर्स, हाइड्रेंट स्प्रिंकल्स, मेन एंड जॉकी पम्प्स/ डोमेस्टिक पम्प्स, इलैक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, एक्युएशन आदि का अनुरक्षण/परीक्षण दैनिक/ साप्ताहिक/ मासिक/ तिमाही/ वार्षिक अथवा द्विवार्षिक आधार पर सी-डॉट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए। अग्नि शमन प्रणाली, फायर अलार्म, फायर इक्स्टिंगग्विशर्स, हाइड्रेंट स्प्रिंकल्स, मेन एंड जॉकी पम्प्स/ डोमेस्टिक पम्प्स, इलैक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, एक्युएशन आदि का प्रचालन सी-डॉट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए। प्रयोगशालाओं तथा परिसर के भीतर अन्य स्थानों पर फिटिंग्स की मरम्मत/ बदलाव सी-डॉट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए। कार्य की व्याप्ति में 48 वाल्ट डीसी केबलिंग तथा आवश्यकतानुसार पैनल लगाना भी शामिल है। जलापूर्ति करने वाली पाइपलाइन्स के नलसाजी के काम, इंटरनेट, टेलीफोन की केबल बिछाना, ऑप्टिक फाइबर वायरिंग, साउंड और प्रॉजेक्टर सिस्टम्स का परिचालन, वॉटर टैंक्स में पानी का स्तर मापने आदि जैसे विविध कार्य सी-डॉट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार करने होंगे।
- 8.2 किसी तरह की खराबी होने पर एजेंसी शिकायत दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर उसे ठीक करवाएगी।
- 8.3 अग्नि शमन तथा फिरे अलार्म प्रणाली के सम्बन्ध में किसी सामग्री अथवा पुर्जे की जरूरत पड़ने पर एजेंसी उस सामग्री और पुर्जों को अविलम्ब उपलब्ध कराएगी।
- 8.4 एजेंसी फॉयर सिस्टम/पम्प रूम साइट को हमेशा स्वच्छ रखेगी।

- 8.5 एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सारी सामग्री या तो बीआईएस द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए अथवा इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा निर्धारित यथोचित एजेंसी द्वारा प्रमाणित की जानी चाहिए।
- 8.6 एजेंसी द्वारा किसी व्यक्ति (टैक्नीशियन/इंजीनियर) को शिकायत/ सुधार के लिए भेजे जाने पर वह ऑफिस रिकॉर्ड के लिए अनुरक्षित लॉग बुक पर हस्ताक्षर करेगा।
- 8.7 जरूरत पड़ने पर इलैक्ट्रिकल इंजीनियर्स/फॉयर ऑफिसर साइट पर उपलब्ध होने चाहिए।
- 8.8 संविदाकार द्वारा प्रत्येक कर्मचारी को वर्दी, सुरक्षा जूते, पहचान पत्र और नेम प्लेट्स उपलब्ध कराए जाएंगे।
- 8.9 साइट पर उपरोक्त कार्यों को अंजाम देने के लिए सभी कल-पुर्जे, संयंत्र और उपकरण संविदाकार द्वारा निश्ल्क उपलब्ध कराए जाएंगे।
- 8.10 एजेंसी सी-डॉट के साथ सहमत संविदा के अनुसार, समग्र कार्यकलापों के प्रबंधन के लिए वर्किंग साइट पर अपने सुपरवाइजर तैनात करने के लिए उत्तरदायी होगी।
- 8.11 सारी सामग्री अथवा कोई भी पुर्जा जिसे बदलने की जरूरत हो, उसे मौलिक उपकरण/पुर्जों की आपूर्ति करने वाले विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता से ही बदलवाना होगा।
- 8.12 एजेंसी तीन महीनों में कम से कम एक बार अग्नि शमन प्रणाली की फायर मॉक ड्रिल करेगी।
- 8.13 एजेंसी हाउसकीपिंग और रखरखाव के तैनात अन्य कर्मियों को अग्निशमन कार्य का प्रशिक्षण देगी। इसके अलावा एजेंसी कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगी।
- 8.14 एजेंसी सुनिश्चित करेगी कि अग्नि शमन प्रणाली के लाइसेंस के नवीकरण के लिए सभी प्रावधान पूरे किए जा चुके हैं।

## 8.15 दैनिक जांच :

- क) रोजाना 5 मिनट तक फायर पम्प्स चलाना होगा।
- ख) प्रैशर गेज, प्रैशर स्विचिज, एनआरवी स्ट्रेनर्स, फ्लो मीटर्स, एयर लॉक वॉल्व्स, स्लूस वॉल्व्स, स्प्रिंगक्लर हैड्स, ड्रेन्स वॉल्व्स, अलार्म वॉल्व्स और प्रणाली में लगे सभी कलपुर्जों की जांच करनी होगी और किसी भी किस्म की असंगति/दोष का पता चलते ही उसे निर्धारित समय में ठीक कराना होगा।
- ग) अग्नि रक्षा प्रणाली पर फिक्स कॉमन हैडर लाइन के प्रैशर की जांच करनी होगी और काफी ज्यादा कमी होने पर रिसाव की जांच करनी होगी, रिसाव वाली जगह की पहचान और उन्हें सही करना होगा।
- घ) एड्रेसेबल फायर अलार्म कम डिटैक्शन सिस्टम के सभी तरह के कामकाज की जांच करनी होगी और दोषों को स्धारना होगा ।
- ङ) रोजाना अंडरग्राउंड वॉटर टैंक और ओवरहैड वॉटरटैंक को भरने के लिए पम्प चलाना और उससे जुड़ी गतिविधियों को अंजाम देना होगा ।

#### 8.16 साप्ताहिक जांच :

- क) स्टार्टर कनैक्ट्स, पम्प्स की सफाई, इन्सुलेशन रजिस्टेंस, पम्प मोटर सर्किट आदि का परीक्षण आदि।
- ख) हाइड्रेंट लाइन, स्प्रिंक्लर लाइन आदि का परीक्षण करना होगा।
- ग) सर्किट टेस्ट /पैनल टेस्ट- दोष और अग्नि की स्थिति में।

#### 8.17 मासिक जांच :

- क) प्रत्येक फायर डिटैक्टर्स का विज्युअल चैक (केवल बाहरी जांच)
- ख) स्मोक डिटैक्टर्स का बारी-बारी एक्चुएशन- प्रत्येक क्षेत्र के कम से कम एक डिटैक्टर का परीक्षण किया जाएगा।
- ग) मैन्अल सैल प्वाइंट का परीक्षण
- घ) टॉक बैक यूनिट सिस्टम का परीक्षण
- ङ) सभी हाइड्रेंट सोर्सिज का परीक्षण

#### 8.18 तिमाही जांच:

- क) स्मोक/हीट डिटैक्टर्स की सफाई
- ख) सभी इलैक्ट्रिकल पैनल्स और राइजर्स की सफाई एवं परीक्षण
- ग) सभी फायर इक्स्टिंगग्विशर्स का परीक्षण
- घ) सभी हाइड्रेंट प्वाइंट्स की सफाई, ग्रीसिंग, ऑयलिंग, ब्रासो
- ङ) सभी मोटर्स और पम्प्स की सर्विसिंग

## 9. भुगतान:

- 9.1 एजेंसी प्रदान की गई सेवाओं के लिए देय शुल्कों के लिए स्पष्ट रूप से अपना दावा प्रस्तुत करेगी। यह दावा, जिस तिमाही के लिए बिल तैयार किया गया है, उसके सम्पन्न होने के तत्काल बाद वाले माह के पहले हफ्ते में प्रस्तुत किया जाएगा। संविदाकार सी-डॉट में तैनात किये गये कर्मियों के लिए पीएफ, ईएसआई तथा लागू कर और अन्य वैधानिक आवश्यकताओं के लिए धन जमा कराने के प्रमाण के साथ अपने बिल प्रस्तुत करेगा। संविदा की पूर्ण अविध के दौरान सामग्री की लागत स्थिर रहेगी। संशोधित न्यूनतम वेतन का भुगतान उसके प्रमाणिक दस्तावेज जमा कराने के बाद किया जाएगा।
- 9.2 संविदाकार को उसके द्वारा किये गये वास्तिवक कार्य के आधार पर, पूर्ववर्ती अविध में संविदा के अनुसार दायित्वों के संतोषजनक निर्वहन की सुनिश्चितता और पीएफ/ईएसआई/जीएसटी भुगतान तथा बॉयोमेट्रिक उपस्थिति के प्रमाण की पुष्टि के बाद मासिक भ्गतान किया जाएगा।
- 9.3 भुगतान के अग्रिम दावों अथवा चालू बिल पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 9.4 आयकर और अन्य वैधानिक शुल्कों की कटौती स्रोत से समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार ही की जाएगी।

9.5 संविदाकार का दायित्व होगा कि वह प्रत्येक कैलेंडर महीने की सात तारीख तक अपने कर्मचारियों को सी-डॉट के प्रतिनिधि की उपस्थित में भुगतान करे अथवा उनके बैंक खाते में जमा कराये और ईएसआई एवं पीएफ, बोनस सिहत वेतन के भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करे और केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार लागू कानून के प्रावधान के अनुसार रिकॉर्ड रखे। अपने नियुक्त किए कर्मचारियों को संविदाकार द्वारा समय पर भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में सी-डॉट इस संबंध में उचित कदम उठा सकता है।

#### 10. मानवशक्ति संबंधी आवश्यकता

| क्रम | मानवशक्ति का | कर्मियों की | श्रेणी    | आवश्यक योग्यता/अनुभव                 |
|------|--------------|-------------|-----------|--------------------------------------|
| सं.  | विवरण        | कुल सं.     |           |                                      |
| 1    | सुपरवाइजर    | 1           | स्नातक    | स्नातक, तकनीकी योग्यता प्राप्त पांच  |
|      |              |             |           | साल के उपयुक्त अनुभव और किसी         |
|      |              |             |           | प्रतिष्ठित संस्थान से अग्नि          |
|      |              |             |           | शमन/अग्नि सुरक्षा में 6 महीने अथवा   |
|      |              |             |           | उससे अधिक अवधि के प्रमाणपत्र         |
|      |              |             |           | पाठ्यक्रम                            |
| 2    | सीनियर       | 2           | कुशल      | कम से कम पांच साल के उपयुक्त         |
|      | इलैक्ट्रिशयन |             |           | अनुभव के साथ इलैक्ट्रिकल ट्रेड में   |
|      |              |             |           | आईआईटी प्रमाण पत्र धारी              |
| 3    | इलैक्ट्रिशयन | 3           | अर्द्धकुश | इलैक्ट्रिकल क्षेत्र में कम से कम तीन |
|      |              |             | ਲ         | साल का अनुभव                         |
| 4    | फिटर         | 3           | कुशल      | कम से कम पांच साल के उपयुक्त         |
|      |              |             |           | अनुभव के साथ इलैक्ट्रिकल ट्रेड में   |
|      |              |             |           | आईआईटी प्रमाण पत्र धारी              |
| 5    | हैल्पर       | 5           | अकुशल     | कम से कम एक साल का उपयुक्त           |
|      |              |             |           | अनुभव                                |

तैनात किए गए उपरोक्त सभी कर्मियों का पुलिस सत्यापन सिहत सभी पूववृतों के उचित सत्यापन के बाद सी-डॉट के प्रतिनिधि द्वारा मंजूर/साक्षात्कार किया जाएगा और एजेंसी सी-डॉट की मंजूरी के बिना उसे नहीं हटाएगी।

#### 11 संविदा समाप्त करना

सी-डॉट को इस निविदा अथवा सफल बोलीदाता के साथ अनुबंध के नियम और शर्तों का उल्लंघन होने पर 1 महीने का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार स्रक्षित है।

#### 12 अन्य निबंधन एवं शर्ते

- 12.1 संविदाकार अपने कर्मचारियों की अच्छे आचरण के लिए उत्तरदायी होगा। संविदाकार के किसी भी कर्मचारी के बुरे आचरण के लिए सी-डॉट उचित कार्रवाई की जाएगी।
- 12.2 संविदाकार मुआवजे का भुगतान करने और वर्तमान संविदा के संबंध में नियोक्ता एवं कर्मचारी के बीच विवाद के कारण श्रम आयुक्त/श्रम न्यायालय में हुए मुकदमे के निपटारे के लिए उत्तरदायी होगा। वेतन के भुगतान और श्रम कानूनों के संबंध में सी-डॉट किसी भी तरह उत्तरदायी नहीं होगा। दैनंदिन अनुरक्षण कार्य करने के लिए संविदाकार द्वारा तैनात किये गये श्रमिकों और सी-डॉट के बीच स्वामी एवं सेवक वाला संबंध नहीं होगा।
- 12.3 सी-डॉट, कार्य के दौरान संविदाकार के कर्मचारियों के साथ होने वाली दुर्घटना, मृत्यु या चोट के लिये जिम्मेदार नहीं होगा और न ही वह ऐसे लोगों को मुआवजा या क्षितिपूर्ति देने के लिये उत्तरादायी होगा। क्षितिपूर्ति सदैव संविदाकार को देनी होगी और कामगार क्षितिपूर्ति अधिनियम, 1923 अथवा सभी वैधानिक सुधारों के तहत ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जिसका सी-डॉट परिसर में प्रवेश संविदाकार द्वारा अधिकृत किया गया हो, दुर्घटना का शिकार बनने या चोट लगने के परिणामस्वरूप देय क्षितिपूर्ति या मुआवजे के लिये होने वाले सभी दावों से सी-डॉट को सुरक्षित रखना होगा।
- 12.4 संविदा के निष्पादन के दौरान यदि किसी भी समय संविदाकार का वास्ता सेवाओं के समयबद्ध निष्पादन में विलंब करने वाली परिस्थितियों से पड़े, तो वह देरी के बारे में, देरी के कारण और उसकी सम्भावित अविध के बारे में सी-डॉट को तत्काल लिखित में सूचित करे। सी-डॉट हालात का जायजा लेगा और कार्य निष्पादन के लिए आपूर्तिकर्ता के समय में अपने विवेक से वृद्धि करेगा और सी-डॉट का फैसला अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
- 12.5 निरीक्षण: सामग्री सी-डॉट कार्यालय में पहुंचने पर सी-डॉट के प्राधिकृत कर्मी उसका निरीक्षण करेंगे और इस मामले में उनका फैसला अंतिम समझा जाएगा। अस्वीकृत सामग्री, बदलने के लिए संविदाकार को लौटा दी जाएगी और उस पर आने वाली लागत संविदाकार द्वारा वहन की जाएगी। सामग्री बदलने का कार्य तीन दिन के भीतर किया जाना चाहिए।
- 12.6 संविदाकार के पास उचित दूरभाष नम्बर और ईमेल होनी चाहिये, ताकि सी-डॉट किसी भी समय उसके साथ सम्पर्क कायम कर सके।

- 12.7 यदि सी-डॉट परिसर या भवन में किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों को एजेंसी की वजह से कोई क्षिति होती है, तो उसकी क्षितिपूर्ति भी एजेंसी द्वारा की जाएगी। एजेंसी/संविदाकार अपने कर्मचारियों का बीमा कराने के लिये उत्तरदायी होगा।
- 12.8 संविदाकार के कार्यों की समीक्षा अभियंता द्वारा की जाएगी, जो इस कार्य के लिए योग्य और अनुभवी होगा।
- 12.9 सुरक्षाकर्मियों को किसी भी कर्मचारी, सुपरवाइजर की परिसर में दाखिल होने, कार्य के दौरान और परिसर छोड़ते समय उन पर नजर रखने और उनकी तलाशी लेने की आजादी होगी।
- 12.10 संविदाकार प्रत्येक कर्मचारी, सुपरवाइजर और स्टॉफ के लिए अपनी लागत पर वर्दियों की व्यवस्था करेगा। संविदाकार हर साल अपने सभी कर्मचारियों को गर्मियों की वर्दी के दो सेट्स (सेट का मतलब एक पूरी आस्तीन वाली कमीज, एक पेन्ट फुल और चमड़े के एक जोड़ी काले जूते) और सर्दियों की वर्दी का एक सेट (स्वेटर) उपलब्ध करायेगा। वर्दी का रंग और डिजाइन सी-डॉट के साथ परामर्श करके तय किया जाएगा।
- 12.11 समस्त उपभोग्य सामग्री प्रतिस्थापन आधार पर (पुरानी बेकार सामग्री को साइट से हटाया जाएगा)उदाहरण के तौर पर एचआरसी फ्यूजिज़ को साफ करने वाले कारक जैसे कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जूट, सूती कपड़े, रेगमाल, टेप, तेल, ग्रीस, उपकरण एवं सामग्री आदि, सेवाओं के अनुरक्षण के लिए जिसकी भी आवश्यकता होगी, संविदाकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। अगर किसी भी अवस्था पर संविदाकार को कार्य पूरा करने के लिए संविदा में चिन्हित औजारों, उपकरणों और सामग्री की संख्या बढ़ाने की जरूरत महसूस होगी, तो वह बिना अतिरिक्त लागत के उन्हें उपलब्ध कराएगा।
- 12.12 संविदाकार उपकरण को काम करने की उचित अवस्था में सी-डॉट/इस संविदा की समाप्ति पर आने वाले संविदाकार के सुपुर्द करेगा, अन्यथा मरम्मत की लागत अनुबंधकर्ता के अंतिम बिल से काट ली जाएगी।
- 12.13 संविदाकार को अग्निशमन प्रणाली के परिचालन के लिए धारा 10 में दी गई मानवशक्ति की आवश्यकता के अनुसार तकनीकी कर्मचारियों को तैनात करना होगा।
- 12.14 ओवरटाइम दर प्रतिदिन (8घंटे) रिववार, राजपित्रत अवकाश और कार्य के घंटों के अतिरिक्त काम करने पर विशिष्ट मानवशक्ति के लिए उद्धृत दैनिक दर से दोगुना होगी।
- 12.15 संविदाकार अनुरक्षण का कार्यक्रम तैयार करेगा जिसमें दैनिक/ साप्ताहिक/ मासिक/तिमाही/सालाना आधार पर परिचालन एवं अनुरक्षण नियमाविलयों के अनुसार उपकरणों के विनिर्माताओं की सिफारिशों के अनुरूप जांची जाने वाली मदों का उल्लेख होगा और इन्हें लागू करने से पहले अभियंता से मंजूर कराना होगा।

## 13 प्रतिभूति जमा/ निष्पादन बैंक गारंटी

एजेंसी द्वारा सी-डॉट को किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुस्चित बैंक से संविदा मूल्य के 3 प्रतिशत के समतुल्य (3 वर्ष के लिए) सिक्योरिटी डिपोजिट (प्रतिभूति जमा) कार्य निष्पादन बैंक गारंटी/डिमांड ड्रॉफ्ट, के रूप में निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-V) में उपलब्ध कराना होगा। उपरोक्त बैंक गारंटी संविदा मिलने की तिथि से 02 सप्ताह के भीतर तक दाखिल करनी होगी और यह संविदा की अवधि समाप्त होने के तीन महीने बाद तक वैध होनी चाहिये और संविदा की अवधि बढ़ाए जाने की स्थित में इसकी अवधि भी बढ़ानी होगी। सी-डॉट निम्नलिखित परिस्थितियों में इस बैंक गारंटी को भुनाने के लिए मुक्त होगा:

- संविदाकार द्वारा इस अनुबंध के तहत अपने दायित्व निभाने में नाकाम रहने की स्थिति में।
- 2) संबद्ध वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा पूर्णतया अपने विवेकाधिकार से संविदाकार से देय राशि की मांग किये जाने पर।
- 13.1 संविदा स्वीकार करने के बाद, यदि संविदा की किसी/सभी शर्तों का उल्लंघन हुआ, सी-डॉट को संविदा समाप्त करने का अधिकार होगा। ऐसे मामले में प्रतिभूति जमा सी-डॉट द्वारा अपने विवेक के आधार पर जब्त कर ली जाएगी।

#### 14. असंतोषजनक कार्य के कारण कटौतियां

- क. सी-डॉट की परिसम्पितयों अथवा उपकरणों आदि को एजेंसी कर्मचारियों की वजह से हानि पहुंचने की स्थिति में परिसम्पितयों के अधिग्रहण की लागत सी-डॉट के निर्णय के अनुसार जुर्माने के रूप में उगाही जाएगी। हानि/क्षिति की मात्रा या तो बिल/संविदाकार की प्रतिभूति जमा से वसूली जाएगी।
- ख. संविदाकार द्वारा नियुक्त कर्मियों द्वारा आपस में झगड़ा, दुर्व्यवहार आदि जैसे दुराचरण किये जाने के कारण परिसर में अशांति होने पर: प्रत्येक अवसर पर 500 रुपये और/अथवा ऐसे कर्मियों को तत्काल बदलना होगा।
- ग. कर्मियों के वर्दी में नहीं आने अथवा आई-कार्ड नहीं पहनने पर- प्रत्येक अवसर पर 500 रुपये।
- घ. दिया गया काम न करते हुए कर्मियों का खाली बैठना- प्रत्येक अवसर पर 500 रुपये।
- ङ. पूर्व अनुमति के बिना ठेकेदार के कर्मचारी की अनुपस्थिति के लिए जुर्माना-1,000 रुपये प्रतिशिफ्ट प्रति व्यक्ति।
- च. किसी भी परिस्थिति में शिफ्ट ऑपरेटर को अनुपस्थित रहने की इजाजत नहीं होगी। किसी शिफ्ट ऑपरेटर के ड्यूटी पर न आने की स्थिति में, उपलब्ध शिफ्ट ऑपरेटर रिलीवर के आकर प्रभार संभालने तक कार्य करना जारी रखेगा। किसी शिफ्ट ऑपरेटर के न आने की वजह से अतिरिक्त कार्य करने वाले

शिफ्ट ऑपरेटर को रिलीव करने की व्यवस्था करना संविदाकार के लिए आवश्यक होगा। ऐसे मामलों में ओवरटाइम का भुगतान संविदाकार करेगा। संविदाकार अपने प्रत्येक कर्मचारी को एक दिन का साप्ताहिक अवकाश प्रदान करेगा। जिस कर्मचारी को साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा, उसके स्थान पर उसका रिलीवर इ्यूटी करेगा। यदि डीजी ऑपरेटर्स के साप्ताहिक अवकाश के लिए कोई भी रिलीवर नहीं उपलब्ध कराया गया, तो उपरोक्त उल्लिखित जुर्माना लगाया जाएगा।

- छ. सी-डॉट परिसर में धूम्रपान एवं तम्बाक् सेवन आदि निषिद्ध है। इन वस्तुओं का आदी कोई कामगार यदि परिसर में तैनात होगा और वह इस नियम का उल्लंघन करता पाया जाएगा, तो उसे परिसर छोड़कर चले जाने को कहा जाएगा और उसे तत्काल बदलना होगा।
- ज. यदि कार्य की विशिष्ट गुणवता बरकरार नहीं रखी जाएगी और कार्य निष्पादन असंतोषजनक पाया गया, तो सी-डॉट के सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस असंतोषजनक कार्य के लिए संविदाकार के बिल से उचित कटौती की जाएगी। यदि असंतोषजनक कार्य के कारण कटौतियां की जाएंगी, इस कटौती को माफ़ करने के बारे में संविदाकार के अन्रोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- झ. अपने कर्मचारियों को यूनिफ़ॉर्म, सेफ्टी गियर्स या लागू, विस्तृत वेतन-पर्ची (पीएफ और ईएसआई विवरण के साथ वेतन घटकों, ओवरटाइम सिहत) प्रदान नहीं करने पर प्रति माह एक बार 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- ञ. जुर्माना वसूली के बारे में सी-डॉट का निर्णय अंतिम होगा।
- ट. ऊपर उल्लिखित किसी भी प्रकार का जुर्माना या कटौती पर भी लागू दरों के अन्सार जीएसटी लगेगा।

# 15 निविदा-पूर्व बैठक

एक निविदा-पूर्व बैठक 'महत्वपूर्ण तारीखों की सूची' (निविदा आमंत्रण सूचना दस्तावेज़ देखें) में दिए गए कार्यक्रम के अन्सार सी-डॉट परिसर दिल्ली में होगी।

सभी प्रश्न 'महत्वपूर्ण डेट शीट' में निर्धारित तारीख और समय तक ई-मेल purchase@cdot.in के माध्यम से (केवल \*.xlsx फॉर्मेंट में) सी-डॉट तक पहुंच जाने चाहिये। उपरोक्त तिथि एवं समय के बाद किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाएगा। निविदा-पूर्व बैठक में अधिकतम 02 अधिकृत प्रतिनिधियों को भाग लेने की अनुमित होगी। कोई भी स्पष्टीकरण नहीं मांगे जाने पर, यह मान लिया जाएगा कि बोलीकर्ता मानदंड/निर्दिष्ट जरूरत/प्रकाशित/उल्लिखित/जरूरत को पूरी तरह समझ चुके हैं और निविदा जमा कराते समय उसका पालन कर रहे हैं। निविदाकारों को इस बात का भी ध्यान रखना

होगा कि उपरोक्त तिथि के बाद स्पष्टीकरण के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदा-पूर्व प्रश्नों के उत्तर निविदा पूर्व बैठक में दिए जायेंगे।

## 16. क्षतिपूर्ति शर्त

सफल बोलीकर्ता प्राधिकरण के किसी भी दावे के लिये सी-डॉट को क्षतिपूर्ति देंगे। अगर सी-डॉट को व्यक्तिगत, वैधानिक संस्था या किसी एजेंसी को इस अनुबंध की वजह से किसी भी प्रत्यक्ष या परोक्ष कारण से भुगतान करना पड़ा, तो सिर्फ ठेकेदार ही ऐसे दावे/क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगा और भले ही सी-डॉट से इस क्षतिपूर्ति/दंड का भुगतान करने को कहा गया हो, तो भी उसकी प्रतिपूर्ति ठेकेदार द्वारा की जाएगी। यह सी-डॉट द्वारा पालन किए जाने वाले कानूनों की विविध जरूरतों के दायरे में होगा।

17. खंड 18 (माध्यस्थम) के अध्यधीन, उपरोक्त निविदा में किसी तरह का विवाद होने पर, उसे सिर्फ दिल्ली के न्याय-क्षेत्र के अन्तर्गत अदालतों में ही निपटाया जा सकेगा।

#### 18. माध्यस्थम

सी-डॉट और संविदाकार के बीच स्थिति, वैधता, व्याख्या, निष्पादन, समाप्ति के संबंध में किसी तरह का विवाद, मतभेद अथवा असहमित होने या संविदा भंग होने पर, मामले का समाधान सद्भाव के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से किया जाएगा। ऐसा न होने पर, मामले को भारतीय माध्यस्थता एवं समाधान अधिनियम, 1996 के समय-समय पर संशोधित प्रावधानों के अनुरूप, माध्यस्थता के जरिये निपटाने के लिए भेजा जाएगा। कोई भी पक्ष विवाद को एकल माध्यस्थ, दोनों पक्षों की परस्पर सहमित से माध्यस्थ द्वारा सुलझाने के लिए भेज सकता है। मध्यस्थता की कार्यवाहियों की भाषा अंग्रेजी होगी और मध्यस्थता का स्थल एवं क्षेत्राधिकार नयी दिल्ली होगा। मध्यस्थता का निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों द्वारा बाध्यकारी होगा।

# अनुलग्नक-1

# एजेंसी का विवरण

कृपया केवल नीचे दिये गये प्रारूप के अनुसार ही विवरण उपलब्ध कराइये

|     | <b>~</b>                                      |  |
|-----|---|--|
| 1.  | एजेंसी का नाम/पता                             |  |
|     | दूरभाष संख्या/फैक्स नम्बर                     |  |
|     | मोबाइल नम्बर                                  |  |
|     | ई-मेल   |  |
| 2.  | वैधानिक आवश्यकतायें                           |  |
|     | कृपया बतायें क्या एजेंसी दुकान एवं प्रतिष्ठान |  |
|     | अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी/ मालिकाना/       |  |
|     | सोसायटी है। कृपया तदनुसार पंजीकरण की          |  |
|     | प्रति संलग्न करें।                            |  |
| 3.  | कर्मचारियों की संख्या                         |  |
| 4.  | निदेशकों के नाम और उनके व्यवसाय               |  |
| 5.  | इस सेवा में अनुभव (वर्षों में)                |  |
|     | आपकी कम्पनी द्वारा संचालित कोई अन्य           |  |
|     | कारोबार                                       |  |
| 7.  | पंजीकृत/मुख्य कार्यालय की अवस्थिति            |  |
| 8.  | क्या आपकी शाखाएं हैं, दिल्ली की शाखाओं के     |  |
|     | नाम एवं स्थानों की जानकारी दीजिए              |  |
| 9.  | टैन संख्या/पैन नम्बर/जीएसटी और पिछले वित      |  |
|     | वर्ष में भुगतान किए गए कर की राशि (कृपया      |  |
|     | नवीनतम आयकर क्लीयरेंस प्रमाण पत्र की प्रति    |  |
|     | संलग्न करें)                                  |  |
| 10. | पिछले तीन वितीय वर्षीं (2017-18,2018-19,2019- |  |
|     | 2020) में अग्निशमन प्रणाली के परिचालन और      |  |
|     | अनुरक्षण सेवाओं के लिए एजेंसी का वार्षिक      |  |

|     | टर्नओवर                                  |             |             |        |
|-----|--|-------------|-------------|--------|
| 11. | निविदाकार को पिछले तीन वितीय वष          | ों (वित्तीय |             |        |
|     | वर्ष (2017-18,2018-19 और 2019-2          | 2020) की    |             |        |
|     | दरें प्रस्तुत करते हुए 75 लाख रुपये      | मूल्य की    |             |        |
|     | दो समान संविदाओं संबंधी अनुभव के         | प्रमाणिक    |             |        |
|     | दस्तावेज/विवरण संलग्न करने चाहिए।        |             |             |        |
| 12. | पिछले तीन वर्षों में जिनके साथ अ         | नुबंध हो,   |             |        |
|     | ऐसे कम से कम दो ग्राहकों से ग्राहव       | ह संगठन     |             |        |
|     | के पत्र-शीर्ष पर सेवा संतुष्टि का प्रमाण | पत्र।       |             |        |
|     | इसके अलावा, बोलीदाता को इस 3             | गशय का      |             |        |
|     | दस्तावेज प्रस्तुत करना है कि उन्हों      | ने पिछले    |             |        |
|     | तीन वर्षों में किसी भी ग्राहक            | से किसी     |             |        |
|     | अनुशासनात्मक कार्रवाई/ ब्लैकलिसि         | -टंग का     |             |        |
|     | सामना नहीं किया है। इस आशय               |             |             |        |
|     | घोषणा स्वीकार्य होगी।                    |             |             |        |
| 13. | कृपया अपनी एजेंसी/कम्पनी के बैंकर्स      | का नाम      |             |        |
|     | और पता उपलब्ध कराइये                     |             |             |        |
| 14. | क्या कार्यान्वित की गई संविदाओं के       | संदर्भ में  |             |        |
|     | कोई मुकदमा चल रहा है। यदि हां, त         | ो विवरण     |             |        |
|     | दीजिए                                    |             |             |        |
| 15. | बैंक ऋण शोधन प्रमाण पत्र का विवरण        | Γ           |             |        |
| 16. | उन कार्यों के प्रकार जिनकी उप-सी         | वेदा की     |             |        |
|     | गई है                                    |             |             |        |
| 17. | पिछले तीन वर्ष में प्रमुख ग्राहकों की    | ग्राहक      | सम्पर्क     | संविदा |
|     | उनके सालाना बिल सहित सूची                | का नाम      | अधिकारी एवं | मूल्य  |
|     |  |             | उसके नम्बर  |        |
| 18. | क्या आपने सूक्ष्म, लघु, माध्यम           |             |             |        |
|     | उद्यम कंपनी के रूप में पंजीकरण           |             |             |        |
|     | किया है? यदि हाँ, तो कृपया ब्यौरा दें    |             |             |        |

19. किसी भी अन्य सूचना/दस्तावेज का विवरण, जो सम्भवतः अनुबंध प्रदान करने के लिये बोलीकर्ता की क्षमताओं का आकलन करने में सी-डॉट की मदद करे

# वैधानिक आवश्यकताएं

| 1 क्या आप ईएसआई अधिनियम 1948              | ईएसआई    | पंजीकरण का वर्ष       |
|---|----------|-----------------------|
| के अंतर्गत पंजीकृत हैं? यदि हां, तो       | नम्बर    |                       |
| पंजीकरण की प्रति संलग्न कीजिए             |          |                       |
| 2 बोलीकर्ता द्वारा ईएसआई को विप्रेषित     |          |                       |
| धन की नवीनतम प्रति संलग्न कीजिए           |          |                       |
| 3 क्या आप कर्मचारी भविश्य निधि कोश        | ईपीएफ    | पंजीकरण का वर्ष       |
| एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के        | नम्बर    |                       |
| अंतर्गत पंजीकृत हैं, यदि हां, तो          |          |                       |
| पंजीकरण की प्रति संलग्न कीजिए             |          |                       |
| 4. आपकी एजेंसी द्वारा ईपीएफ को            |          |                       |
| विप्रेषित धन की नवीनतम प्रति संलग्न       |          |                       |
| कीजिए                                     |          |                       |
| 5.क्या आप जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत       | जीएसटी व | नम्बर पंजीकरण का वर्ष |
| पंजीकृत हैं? यदि हां, तो पंजीकरण की प्रति |          |                       |
| संलग्न कीजिए                              |          |                       |
| 6.क्या आप राज्य/केंद्रीय श्रम प्राधिकरणों |          |                       |
| के साथ पंजीकृत हैं?                       |          |                       |
| यदि हां, तो पंजीकरण की प्रति संलग्न       |          |                       |
| कीजिए                                     |          |                       |
| 7. कृपया स्पष्ट कीजिए कि क्या             |          |                       |
| ईएसआई आयुक्त, आयकर प्राधिकरणों, श्रम      |          |                       |

| न्यायाधिकरण प्राधिकरणों आदि में आपकी     |  |
|--|--|
| एजेंसी के विरुद्ध कोई मामले/विवाद हैं?   |  |
| 8. किसी कंपनी/सरकारी कार्यालय द्वारा     |  |
| पिछले पाँच वर्ष में ब्लैकलिस्ट किये जाने |  |
| का विवरण                                 |  |

# <u>अवसंरचना</u>

| 1.अग्निशमन प्रणाली और अन्य        |
|-----------------------------------|
| सेवाओं के प्रचालन एवं अनुरक्षण के |
| लिए आपकी एजेंसी/कम्पनी के         |
| बुनियादी ढांचे का विवरण प्रस्तुत  |
| कीजिए                             |

# <u>शपथपत्र</u> सीडॉट/निविदा/ डीईएल/कैंपस/2020-2021/002

मैं / हम प्रमाणित करते हैं कि मैंने / हमने निविदा दस्तावेज के सभी नियमों और शर्तों का अध्ययन किया है, इसे समझा है और एतदद्वारा इसे पूरी तरह से स्वीकार करते हैं और मैं / हम \_\_\_\_\_\_ की क्षमता में एक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में इस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर कर रहे हैं।

मैं / हम उपर्युक्त निविदा दस्तावेज (जों) / शुद्धिपत्र (त्रों) की निविदा शर्तों को इसकी समग्रता / संपूर्णता में बिना शर्त स्वीकार करते हैं।

मैं / हम प्रमाणित करते हैं कि हमारी कंपनी / एजेंसी को पिछले तीन वितीय वर्षों के दौरान किसी भी ग्राहक संगठन (सरकार सहित) द्वारा व्यवसाय करने से वंचित / ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

मैं / हम प्रमाणित करते हैं कि निविदा दस्तावेज के खिलाफ दी गई सभी जानकारी सही हैं और इसका पालन करती हैं। यदि किसी भी स्तर पर यह गलत पाया जाता है, तो सी-डॉट बोली की अस्वीकृति, अनुबंध की समाप्ति और प्रतिभूति जमा की जब्ती सहित, लेकिन इन तक सीमित नहीं रहते हुए हमारे खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

मैं / हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि हम प्रदान किए गए अनुबंध के नियमों और शतों के अनुसार सेवाएं प्रदान करेंगे, इसमें विफल रहने पर सी-डॉट हमारे जोखिम और लागत पर वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए स्वतंत्र होगा। हम यह भी पुष्टि करते हैं कि असंतोषजनक सेवाओं के मामले में, सी-डॉट को हमारे खिलाफ कार्रवाई का कोई कानूनी रास्ता अपनाने का अधिकार है।

यदि मेरी / हमारी बोली स्वीकार की जाती है, तो मैं / हम निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों के अनुसारनिष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करेंगे जो अनुबंध अविध से 3 महीने अधिक तक की अविध के लिए मान्य होगी। सी-डॉट द्वारा कार्य आदेश जारी होने के 2 सप्ताह के भीतर अनुबंध के भरोसेमंद निष्पादन के लिए, दिए गए प्रारूप के अनुसार पीबीजी प्रस्तुत करनी होगी।

जब तक एक औपचारिक समझौता तैयार और निष्पादित नहीं किया जाता है, तब तक हमारी बोली की पेशकश, आपकी लिखित स्वीकृति और कार्य सौंपने की अधिसूचना, हमारे बीच एक बाध्यकारी अनुबंध का गठन करेगी।

इस निविदा दस्तावेज के परिणाम कुछ भी होने के बावजूद, हम किसी भी रूप में किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस निविदा दस्तावेज की विषय-सामग्री का खुलासा / हस्तांतरण / उपयोग / साझा नहीं करने का वचन देते हैं।

मैं / हम हमारे द्वारा उद्धृत दरों के अनुसार सेवाएं प्रदान करने के लिए सहमत हैं।

> मालिक/ निदेशक के हस्ताक्षर आधिकारिक सील / मुहर

स्थान :

दिनांक:

# अनुलग्नक-3

# मूल्य बोली शपथपत्र

की ओर से : (बोलीदाता का पूरा नाम और पता):

.....

....

मैं प्रमाणित करता हूं कि,

- 1. मैंने निविदा दस्तावेज में परिकल्पित अग्निशमन प्रणाली, इलेक्ट्रिकल पैनल, मोटर पंप, इलेक्ट्रिकल कार्यों के व्यापक प्रचालन एवं अनुरक्षण और संबंधित गतिविधियों के लिए मूल्य बोली प्रस्तुत की है।
- 2. मैंने निविदा दस्तावेज में सम्मिलित सभी नियम एवं शर्तों की अच्छी तरह जांच की है और समझ लिया है तथा उनका पालन करने के लिए सहमत हूं।
- 3. मैं जीएसटी को छोड़कर सभी लागू करों / प्रभारों सहित कीमत बोली में इंगित दरों पर काम करने का प्रस्ताव करता हूं।

भवदीय,

(अधिकृत प्रतिनिधि का नाम, हस्ताक्षर और मुहर)

# बोली सुरक्षा घोषणा फार्म

निविदा संख्या: सीडॉट/निविदा/ डीईएल/कैंपस/2020-2021/002

#### में / हम, अधोहस्ताक्षरी घोषणा करते हैं कि:

मैं / हम समझते हैं कि, निविदा नियमों और शर्तों के अनुसार, बोलियों को एक बोली सुरक्षा घोषणा दवारा समर्थित किया जाना चाहिए।

मैं / हम स्वीकार करते हैं कि अगर मैं / हम किसी दायित्व का उल्लंघन करते हैं तो बोली शर्तों के तहत, मैं / हम किसी भी अन्बंध की सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ टेलीमैटिक्स (सी-डॉट) के लिए अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए किसी भी अन्बंध की बोली से अयोग्य घोषित हो सकते हैं क्योंकि मैं / हमने

- क) बोली के रूप में निर्दिष्ट बोली वैधता की अवधि के दौरान मेरी / हमारी बोली से अपनी निविदा वापस ली / संशोधित / संवर्धित, लगाई या निकाली है ; या
- ख) बोली वैधता की अविध के दौरान क्रेता द्वारा हमारी बोली की स्वीकृति के बारे में सूचित किये जाने के बाद निविदा दस्तावेज में बोलीकर्ताओं को दिए गए निर्देश के अन्सार (i) आवश्यक होने पर , अन्बंध के निष्पादन में विफल रहते या इनकार करते हैं, या (ii) निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने में विफल रहते या इनकार करते हैं।

मैं / हम समझते हैं कि इस बोली स्रक्षा घोषणा की वैधता समाप्त हो जाएगी यदि मैं / हम सफल बोलीदाता नहीं हैं, (i) सफल बोलीदाता के नाम की सी-डॉट की सूचना प्राप्त होने पर; या (ii) मेरी / हमारी बोली की वैधता की समाप्ति के तीस दिन बाद, जो भी पहले हो ।

हस्ताक्षरित: उस व्यक्ति का हस्ताक्षर डालें, जिसका नाम और क्षमता दर्शाया गया है)

की क्षमता में (बोली सुरक्षा घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की कानूनी क्षमता सम्मिलित करें) नाम (बोली स्रक्षा घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पूरा नाम डालें)

| कृते   | (बोली | लगाने | वाले | का | पूरा | नाम | डालें) | की | ओर | से | हस्ताक्षर | के लि | ए पूर्ण | तः प्र | ाधिकृ | ਰ    |
|--------|-------|-------|------|----|------|-----|--------|----|----|----|-----------|-------|---------|--------|-------|------|
| दिनां  | केत   |       |      |    |      |     |        |    |    |    | _ के दिन  | (हर   | ताक्षर  | करने   | की    | तिथि |
| डालें) |       |       |      |    |      |     |        |    |    |    |           |       |         |        |       |      |

कंपनी की म्हर

(नोट: संयुक्त उद्यम होने पर, बोली सुरक्षा घोषणा में बोलीकर्ता उद्यम के सभी भागीदारों के नाम पर होनी चाहिए)

# अनुबंध दिए जाने पर निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) के लिए प्रारूप (100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर निष्पादित)

# निष्पादन बैंक गारंटी

| गारंटी सं. :  |                  |
|---|------------------|
| राशि :  |                  |
| गारंटी कवर की अवधि :से तक   |                  |
| दावा करने के लिए अंतिम तिथि :   |                  |
|   |                  |
| सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ टेलीमैटिक्स, जिसका कार्यालय सेंटर फॉर डेवल      | नपमेंट ऑफ़       |
| टेलीमैटिक्सपरिसर, दिल्ली 110 030 में है, जिसे इसके बाद से निम्न आदेश    | श देने पर        |
| क्रेता के रूप में संदर्भित किया जाएगा, 1. (आदेश संख्या तथा तारीख) 2     | 2. (आदेश         |
| संख्या तथा तारीख) हमारे घटक मेसर्स                                      | _ (आपके          |
| संगठन का नाम) जिसे इसके बाद ठेकेदार के रूप में संदर्भित किया जाए        | गा, (संक्षिप्त   |
| विवरण दें) की आपूर्ति और स्थापना के लिए ऊपर उल्लिखित खरीद आदे           | श (शों) में      |
| उल्लखित वारंटी अवधि के दौरान अनुबंध के भरोसेमंद निष्पादन की गारं        | टी देने के       |
| लिए, हम (बैंकर का नाम और पता) एतदद्वारा, अपने आप को उनके गारं           | टर के रूप        |
| में बांधते हैं और क्रेताओं और उनके उत्तराधिकारियों के लिए स्वयं ज़िम्मे | दारी लेते हुए    |
| किसी अथवा पूरी धनराशि, नुकसान, क्षति, लागत, प्रभार और व्यय के सर्भ      | ो या किसी        |
| भी रकम के भुगतान के लिए असाइन किया जाता है, जो उक्त खरीद आ              | देश के तहत       |
| भरोसेमंद निष्पादन में, ठेकेदार के दायित्वों और वचन के लिए देय या        | भुगतान           |
| योग्य हो, तथापि क्रेता द्वारा हमसे वसूल की जाने वाली कुल राशि रु.       | (रुपये           |
| ) से अधिक नहीं होगी। हम,  |                  |
| (बैंक का नाम  | । और पता)        |
| एतद्द्वारा अनुबंध के अंतर्गत दायित्वों के पूरा करने में ठेकेदार की विफ  | लता कारण         |
| क्रेता को भुगतान के लिए लिखित दावा करने की क्रेताओं की पहली मांग        | पर, बिना         |
| शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से बिना किसी आपत्ति अथवा अवलंब के रु.           |                  |
| (रुपए) के भुगतान की व   | गारंटी देते हैं। |

हम इस बात से सहमत हैं कि पंजीकृत डाक के माध्यम से दावे को दर्ज करना दावे के दर्ज होने का निर्णायक सबूत होगा।

हम दावा दायर करने के 30 दिनों के भीतर दावे को निपटाने का वचन देते हैं। यह गारंटी नोटिस से या अन्यथा प्रतिसंहरणीय नहीं होगी और यह बिना शर्त के और बिना पुनरावृत्ति के होगी और जब तक ठेकेदार अनुबंध के तहत सभी दायित्वों को पूरा नहीं करेगा और तब तक क्रेता, ठेकेदार या बैंक के संविधान में किसी भी बदलाव से प्रभावित नहीं होगा, तब तक हमारी देयता क्षीण या निष्क्रिय नहीं होगी।

| इस गारटी के तहत हमारी देयता से ऊपर कही गई कोई भी बात के बावजूद रु.      |
|---|
| (गारंटी की राशि राशि)   |
| तक सीमित है और (गारंटी की अंतिम तिथि) तक गारंटी के तहत कोई मांग         |
| या दावा लिखित में नहीं किये जाने तक लागू रहेगी। अन्यथा इस गारंटी के तहत |
| आपके सभी अधिकार ज़ब्त कर लिए जाएंगे और हम इससे मुक्त हो जायेंगे और      |
| सभी देयताओं से स्वतंत्र हो जायेंगे।                                     |

दिनांक : कृते बैंकर का नाम

स्थान : मुहर, पता